भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3343

(जिसका उत्तर मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

<u>सी.एस.आर. गतिविधियों के अंग के रूप में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देना</u>

3343. श्रीमती विजिला सत्यानंत :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारपोरेट क्षेत्र को उनकी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) गतिविधियों के अंग के रूप में 5 प्रतिशत रोजगार लायक विकलांगों को खपाने के लिए कहा जाएगा;
(ख) यदि हं, तो अपने कार्यबल में विकलांगों को शामिल करने वाले देश भर में ऐसे कारपोरेट प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) कारपोरेट क्षेत्र द्वारा देशभर में विकलांग भाईयों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु की जा रही विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ग) : विहित न्यूनतम सीमा से ऊपर की कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अनिवार्य कार्यान्वयन से संबंधित प्रावधान का मूल अर्थ इन कंपनियों के लिए अपने निवल लाभ का न्यूनतम दो प्रतिशत पात्र कार्यकलापों (अधिनियम की एक अनुसूची में दिए गए) पर व्यय करने की अपेक्षा है। इस प्रावधान में विकलांग रोजगार योग्य युवाओं को रोजगार सहित प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने का विचार नहीं है। तथापि, पात्र कार्यकलापों में ऐसे लोगों के रोजगार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहल-प्रयास शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रावधान हाल ही में, अर्थात् 01.04.2014 से लागू हुए हैं। कंपनियों द्वारा किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों के ब्यौरे कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर सांविधिक वार्षिक विवरणी दायर करने के पश्चात् ही उपलब्ध होंगे, जो सितंबर, 2015 के बाद दायर की जानी है।

*****